The Uttar Pradesh Kar-Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972

Act 11 of 1972

Keyword(s):
Amendment, tax law

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.A.15772.11
Cop.3

135745

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5-1-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10-1-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 9-2-1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10-2-1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

शरणार्थी सहायता तथा अन्य प्रयोजनों के लिये संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कतिपय कर विधियों का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) धारा 2, 3, 4, 5, धारा 6 क खंड (क) तथा (ग), धारा 8, 9, धारा 11 के खंड (फ) तथा (ब), धारा 14, 15, 17, 18 और 19 के उपबन्ध 15 नवम्बर, 1971 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे, तथा शेष उपबन्ध, अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 6-1-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

अध्याय 2

यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरटेनमेंट्स एण्ड बैटिंग टैक्स एक्ट, 1937 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 8, 1937 की धारा 3 का संशोधन

2—यूनाइटेड प्राविंसेज इंटरटेनमेंट्स एंड बैटिंग टैक्स ऐक्ट, 1937 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(1-क) किसी आमोद में प्रवेश के निमित्त सभी प्रवेश शुल्कों पर दस पैसे प्रति प्रवेश शुल्क की दर से एक अधिभार भी लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा, तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसा अधिभार आमोद कर का अंग समझा जायेगा ।"

धारा 11 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) योगमापी में प्राप्त प्रत्येक दांव अथवा पण क निमित्त स्टयुअर्ड टिकट जारी करेंगे तथा प्रत्येक टिकट पर दस पैसे प्रति टिकट की दर से अधिभार लिया जायेगा और आदेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त योगमापी कर का अंग समझा जायेगा ।"

धारा 14 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) लाइसेंस प्राप्त पणांकक उसके पास प्रस्तुत प्रत्येक पण के निमित्त एक कार्ड जारी करेगा जिसमें पण की धनराशि उल्लिखित होगी, तथा प्रत्येक कार्ड पर दस पसे की दर से अधिभार लिया जायगा और आदेय होगा, तथा ऐसा अधिभार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त पण कर का अंग समझा जायेगा ।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर एक्ट, 1948 ई० का संशोधन

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० 15, 1948 ई० की धारा 3-क का संशोधन

5—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3-क में—

(क) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द "दस प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "बारह प्रतिशत" रख दिये जायं ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "तीन प्रतिशत" जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" रख दिये जायं ।

धारा 3-घ का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 3-घ में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) सिवाय उस दशा में जिसकी व्यवस्था उपधारा (2) में है, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये व्यापारी द्वारा (चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे), या ऐसे व्यापारी के माध्यम से जो क्रय-एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा हो, उत्तर प्रदेश के अन्दर किये गये—

(क) खाद्यान्नों (जिसके अन्तर्गत अनाज तथा दालें भी हैं) के क्रय के संबंध में, ऐसी दर से, जो दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

(ख) किसी ऐसे अन्य माल के प्रथम क्रय के संबंध में, ऐसी दर से, जो—

(1) सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 14 द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल के संबंध में, उक्त ऐक्ट की धारा 15 में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर, तथा 1956 एक्ट

(2) अन्य माल के संबंध में, पांच प्रतिशत,

से अधिक नहीं होगी,

ऐसे क्रय धन पर जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, और ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायेगा ।";

(ख) उपधारा (2) तथा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें रख दी जायं, अर्थात्:—

"(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन विज्ञापित किसी माल के संबंध में क्रयकर्ता अथवा, यथास्थिति, प्रथम क्रय-कर्ता, चाहे अपने लेखे अथवा किसी अन्य के लेखे, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति हो, तो प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष या उसके भाग के लिये उस व्यापारी के, जो ऐसे क्रय-कर्ता को ऐसा माल बेच रहा हो अथवा जिसके माध्यम से ऐसे माल की बिक्री की जा रही हो, ऐसे माल के विक्रय धन पर, जो निर्धारित रीति से अवधारित किया जायेगा, कर लगाया जायेगा और उसका भुगतान किया जायगा, और कर की दर वही होगी जो उप-धारा (1) में विज्ञापित की गयी हो ।

(3) जब कमीशन एजेन्ट द्वारा अपने निर्देष्टा की ओर से किसी विक्रय-धन अथवा क्रय-धन पर, यथास्थिति, उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अधीन कर देय हो, और उसका भुगतान कर दिया गया हो, तो निर्देष्टा उसी विक्रय धन अथवा क्रय-धन पर कर का देनदार न होगा ।

(3-क) कोई व्यापारी इस धारा के अधीन कर का देनदार नहीं होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष का उसका विक्रय-धन अथवा क्रय-धन अथवा दोनों जैसी भी दशा हो, बारह हजार रुपये से, अथवा ऐसी अधिक धनराशि से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, या तो किसी माल के समस्त व्यापारियों के संबंध में या किसी विशेष वर्ग के व्यापारियों के संबंध में तदर्थ निर्दिष्ट करे कम हो सिवाय उस दशा के जब कि उसने—

(क) सेंट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, 1956 की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा पत्र प्रस्तुत किया हो, या — 1956 का ऐक्ट, 74

(ख) उपधारा (7) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र अथवा घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया हो,

और ऐसी दशा में वह, अपने विक्रय-धन या क्रय-धन या दोनों के उक्त न्यूनतम से कम होते हुए भी, ऐसे विक्रय-धन या क्रय-धन पर उपधारा (1) के अधीन विज्ञापित दर से कर का देनदार होगा ।";

(ग) उप-धारा (5) में शब्द 'तीन प्रतिशत' जहां भी आये हों, के स्थान पर शब्द 'साढ़े तीन प्रतिशत' रख दिये जायं ; और

(घ) उप-धारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(7) (क) जब तक कि व्यापारी विक्रेता व्यापारी से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र या प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे किसी व्यापारी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में किया गया प्रत्येक क्रय, उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनार्थ, प्रथम क्रय माना जायेगा ।

(ख) जब तक कि माल बेंचने वाला व्यापारी ऐसे माल के क्रेता से प्राप्त किया हुआ ऐसा घोषणा-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि में, जो निर्धारित की जाय, प्रस्तुत करने के बाद कर-निर्धारण अधिकारी के संतोषानुसार अन्यथा प्रमाणित न कर दे, किसी व्यापारी द्वारा, स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से, अपने लेखे या किसी अन्य के लेखे, उत्तर प्रदेश में की गयी प्रत्येक बिक्री, उप-धारा (2) के प्रयोजनार्थ, रजिस्टर्ड व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को की गयी बिक्री मानी जायेगी ।";

(ङ) अन्त में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय तथा सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित माल एक दूसरे से भिन्न समझ जायेंगे, अर्थात्—

(क) खांडसारी शीरा, जिसके अन्तर्गत शीरा सायर, शीरा गलावट और शीरा सलावट भी हैं,

(ख) राब, जिसके अन्तर्गत राब सायर, राब गलावट और राब सलावट भी हैं,

(ग) गुड़-लौटा और गुड़ रसकट,

और तत्स्थानी, इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उक्त माल में से किसी एक पर धारा 3-क के अन्तर्गत केवल इस कारण कर आरोपित करने, लगाने या वसूल करने पर रोक है कि उनमें से किसी अन्य पर इस धारा के अधीन कर आरोपित, लगाया या वसूल किया जा चुका है, अथवा विलोमतः ।"

7—मूल अधिनियम की धारा 3-ङ निकाल दी जाय । — धारा 3—ङ का निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 3-च में, —

(क) शब्द "पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "आधा प्रतिशत" रख दिये जायं ; — धारा 3—च का संशोधन

(ख) स्पष्टीकरण में: शब्द तथा अंक "ऐसे माल के संबंध में जो धारा 4 के अधीन कर से मुक्त हों" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के संबंध में जिसके संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो" रख दिये जायं तथा सदैव से रखे गये समझे जायं ।

धारा 8-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (3) और (3-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्—

"(3) किसी रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किसी क्रेता से कर वसूल करने के प्रयोजनार्थ व्यापारी द्वारा बेचे गये माल के मूल्य की गणना निकटतम रुपये में की जायेगी, अर्थात् पचास पैसे या उससे अधिक का एक रुपया गिना जायेगा और पचास पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा । यदि इस तरह किसी बेचे गये माल की धनराशि पैसे की भिन्न में हो तथा भिन्न आधा पैसा या उससे अधिक हो तो उसकी गणना अगले उच्चतर पैसे में की जायेगी और आधा पैसा से कम की भिन्न को छोड़ दिया जायेगा ।

(4) धारा 12 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित दशाओं में, कोई व्यापारी जो माल बेचता है, क्रेता को, यथास्थिति, कैश मीमो या बिल देगा जिस पर उसका या उसके सेवक, मैनेजर या एजेंट का नियमित हस्ताक्षर होगा, और वह उसकी कारबन प्रति को उस कर-निर्धारण वर्ष की, जिसमें वह जारी किया जाय, समाप्ति से पांच वर्ष की अवधि के लिये रखेगा, अर्थात्—

(क) यदि व्यापारी, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या नहीं, ऐसा हो,—

(1) जिसका ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष में विक्रय-धन अड़तालिस हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(2) उस दशा में जब व्यापारी ने ठीक पिछले कर-निर्धारण वर्ष के केवल एक भाग में कारोबार किया हो, जिसका उस भाग में मासिक औसत विक्रय-धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो, या

(3) उस दशा में जब व्यापारी ने केवल कर-निर्धारण वर्ष के दौरान कारोबार प्रारम्भ किया हो, जिसका मासिक औसत विक्रय-धन चार हजार रुपये से कम न रहा हो,

और बेचे गये माल का मूल्य पांच रुपये से अधिक है ;

(ख) यदि व्यापारी कोई रजिस्टर्ड व्यापारी है और वह ऐसे माल की बिक्री पर क्रय या विक्रय कर वसूल करता है, और ऐसी दशा में कैश मीमो या बिल में बेचे गये माल का मूल्य और कर के रूप में वसूल की गयी धनराशि अलग-अलग दिखायी जायेगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये व्यापारी का ऐसे माल के संबंध में जिस संबंध में वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के प्रभाव से कर के भुगतान के लिये दायी न हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायेगा ।

(5) धारा 13 में अभिदिष्ट कोई अधिकारी उपधारा (4) में अभिदिष्ट किसी कैश मीमो या बिल पर देय स्टाम्प शुल्क यदि कोई हो, के अपवंचन को रोकने के प्रयोजनों के लिये भी उक्त धारा के अधीन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।"

धारा 28 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

जांच चौकियों या नाके की स्थापना और मार्गस्थ माल का निरीक्षण

"28—(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में सड़क द्वारा माल आयात किये जाने के पश्चात राज्य के भीतर माल की बिक्री के संबंध में इस अधिनियम के अधीन देय कर तथा अन्य देयों के अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है तो वह, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अपनी प्रादेशिक सीमाओं के निकट, राज्य के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जायं, जांच-चौकियां तथा नाके स्थापित करने का निदेश दे सकती है ।

(2) प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी, जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर सड़क द्वारा ऐसा माल आयात करना चाहता हो जो ऐसे परिमाण, रूप या मूल्य से, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, अधिक हो, विक्रेता व्यापारी को एक घोषणा-पत्र, दो प्रतियों में, यथाविधि भरा हुआ और उसके द्वारा हस्ताक्षरित देगा, जिसमें निर्धारित प्रपत्र में, जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे कर-निर्धारक अधिकारी से

जिसका उस क्षेत्र पर, जहां वह कारोबार करता हो, अधिक्षेत्र हो, प्राप्त किया जा सकता है, निर्धारित ब्योरे दिये जायेंगे ।

(3) उपर्युक्त माल ले जाने वाली गाडी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति उपधारा (2) में अभिदिष्ट घोषणा-पत्र की प्रतियां तथा ऐसे अन्य लेख-पत्र भी, जिसमें ऐसे ब्योरे दिये गये हों, जो निर्धारित किये जायं, अपने साथ ले जायगा, और उप-धारा (1) के अधीन स्थापित किसी जांच-चौकी या नाके को पार करने के पहले उसके प्रभारी अधिकारी को उक्त घोषणा-पत्र की एक प्रति देगा और माल सहित दूसरी प्रति तथा शेष लेखपत्र माल पाने वाले को देगा । जांच-चौकी या नाके का प्रभारी अधिकारी, जिसे घोषणा पत्र की एक प्रति दी जाय, उसके लिये एक रसीद देगा, और गाड़ी के ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति को किसी अन्य जांच-चौकी या नाके पर, जिसे वह पार करे, घोषणा-पत्र की प्रति देना आवश्यक न होगा यदि वह उसके प्रभारी अधिकारी को ऐसी रसीद दिखला दे ।

(4) प्रत्येक ऐसी जांच-चौकी या नाके पर, किसी ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति गाड़ी को रोकेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक उस जांच-चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और ऐसे अधिकारी को माल तथा उप-धारा (3) में अभिदिष्ट सभी लेख-पत्रों का निरीक्षण करने देगा, और, यदि अपेक्षित हो, अपना नाम तथा पता और गाड़ी के स्वामी और माल भेजने वाले तथा माल पाने वाले का नाम तथा पता देगा ।

(5) जांच-चौकी या नाके के प्रभारी अधिकारी को गाडी के ऐसे माल को जो उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो, और—

(1) जो उपधारा (3) में अभिदिष्ट लेख-पत्रों में दिखाया न गया हो, या

(2) जिसके संबंध में उक्त लेख-पत्र मिथ्या हो अथवा जिनके मिथ्या होने का समुचित संदेह हो,

रोकने या अभिगृहीत करने की शक्ति होगी और वह उक्त किसी लेख-पत्र को भी रोक या अभिगृहीत कर सकता है ।

(6) इस धारा के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण के संबंध में दण्ड-प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 और 103 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी या निरीक्षण पर लागू होते हैं । 1898 का अधिनियम 5

(7) ऐसे माल और लेख-पत्रों का अभिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 13-क और धारा 13 की उप-धारा (3) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(8) उपर्युक्त माल का आयात करने वाला रजिस्टर्ड व्यापारी उपधारा (3) के अधीन उसे दिये गये घोषणा-पत्र तथा अन्य लेख-पत्रों की प्रति ऐसी अवधि के लिये रखेगा जो निर्धारित की जाय, और जब कभी उक्त अवधि में कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा मांगी जाय तो उन्हें उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यदि व्यापारी यह दलील दे कि उसने माल आयात किये जाने के पश्चात उसे राज्य के भीतर नहीं बेचा किन्तु या तो वह उसके द्वारा उपभुक्त कर लिया गया या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेच गया था तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी अन्य सूचना तथा लेख-पत्र मांग सकता है जिसे वह उचित समझे ।"

11—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में— प्रथम अनुसूची का संशोधन

(क) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या 1,32,68,89 तथा 97 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

"1—मनुष्य अथवा पशु-श्रम द्वारा चालित उपकरणों से भिन्न कृषि उपकरण, जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब को छोड़कर उनके भाग और सम्बद्ध सामान भी हैं ।

32—समस्त बिजली का सामान, यंत्र, उपकरण, साधित्र तथा समस्त ऐसी वस्तुयें जिनका प्रयोग विद्युत शक्ति के बिना नहीं हो सकता है और जिसके अन्तर्गत पंखे, प्रकाश वाले बल्ब, प्रतिदीप्त ट्यूब (जिसके अन्तर्गत इनके स्टार्टर, चोक, फिक्स्चर तथा फिटिंग्स और सम्बद्ध सामान भी हैं), बिजली के मृत्तिका-पात्र तथा पोर्सिलेन एवं अन्य सम्बद्ध सामान तथा सहयोगी भाग, जो चाहे पूर्णतः अथवा भागतः बेचे जाते हैं, किन्तु विद्युत-शक्ति के जनन, वितरण अथवा पारेषण के निमित्त अपेक्षित बिजली की सज्जा, संयंत्र तथा उसके सम्बद्ध सामान और इलेक्ट्रिक मोटर तथा उसके भाग इसमें सम्मिलित नहीं है ।

68—सभी प्रकार का कागज जिसमें हाथ का बना कागज भी सम्मिलित है, चाहे वह लिखने, छापने, नकल करने, पैक करने अथवा किसी अन्य उपयोग के लिये अभिप्रेत हो ।

89—देशी शराब से भिन्न सभी प्रकार की स्पिरिट और शराब, जिसके अन्तर्गत शोधित स्पिरिट, विकृत स्पिरिट, मैथाइल एल्कोहल तथा परिशुद्ध एल्कोहल भी है ।

97—सभी प्रकार के और सभी पेड़ों के, चाहे वे किसी जाति के हों, काष्ट और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां तथा बांस भी हैं, चाहे वह उगाई जा रही हों या काट दी गयी हो या चीरी गयी हों, किन्तु जिसके अन्तर्गत उनके उत्पाद और जलाने की लकड़ी नहीं है ।";

(ख) दूसरे स्तम्भ में क्रम-संख्या 82 तथा 99 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

"82—इत्र और सुगन्धियां जिनके अन्तर्गत अगरबत्ती और धूपबत्ती नहीं हैं ।

99—टायर और ट्यूब, जिसके अन्तर्गत रबड़ के फ्लैप तथा मोटर साइकिलों, मोटर स्कूटरों, मोटरट्स तथा मोटर गाड़ियों के टायर और ट्यूब नहीं है ।";

(ग) क्रम-संख्या 89 के पश्चात् निम्नलिखित मद 89-क बढ़ा दी जाय तथा 22 अगस्त, 1971 से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्:—

"

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
89-क	इस्पात के तार	नि० अथवा आ०

"

(घ) क्रम-संख्या 108 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायं, अर्थात्:—

"

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
109	ट्रैक्टर्स तथा टायर और ट्यूब के अतिरिक्त, उनके भाग, सम्बद्ध सामान और संलग्न वस्तुयें	नि० अथवा आ०
110	बरफ	नि० अथवा आ०
111	चावल का चूर्ण, चावल की कनी तथा चावल की भूसी	नि० अथवा आ०

"

(ङ) इस प्रकार बढ़ाये गये क्रम-संख्या 111 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"

क्रम-संख्या	माल का विवरण	स्थल जिस पर कर लगेगा
1	2	3
112	इलेक्ट्रानिक सामान, सज्जा, उपकरण तथा साधित्र, और उनके भाग तथा सम्बद्ध सामान	नि० अथवा आ०

"

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

12—मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) क्रम-संख्या 16 के सामने स्तम्भ 3 में अंक "31" के स्थान पर अंक "13" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ;

(ख) क्रम-संख्या 19 के सामने स्तम्भ 2 में अंक "1973" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "1973-ए" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं; तथा

(ग) क्रम-संख्या 28 के सामने स्तम्भ 2 में अंक "3237" के स्थान पर अंक "3227" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ।

13—(1) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 3-क या 3-घ के अधीन जारी की गई या जारी किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी विज्ञप्ति अथवा धारा 3-क ख के प्रभाव से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ से पूर्व आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया अथवा आरोपित, निर्धारित, लगाये जाने या वसूल किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कर, विधि के अनुसार, वैध रूप से आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया समझा जायगा, मानो इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3-घ में जोड़ा गया स्पष्टीकरण उन सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त था जब ऐसा कर आरोपित, निर्धारित, लगाया गया या वसूल किया गया था ।

वैधीकरण

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेषत: निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(क) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी कर की वापसी के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष न तो स्वीकार की जायेगी और न जारी रखी जायेगी, और

(ख) कोई न्यायालय ऐसे कर की वापसी के लिये कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त न करेगा ।

अध्याय 4

यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 5, 1935 की धारा 4 का संशोधन

14—यूनाइटेड प्राविंसेज मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, 1935, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(3) उक्त अनुसूची के अनुच्छेद 1, 2, 3 और अनुच्छेद 4 के खंड (1), (2) और (3) में अभिदिष्ट गाड़ियों के संबंध में उपर्युक्त प्रकार से देय कर की धनराशि पर दस प्रतिशत की दर से अधिभार दिया जायगा, और ऐसा अधिभार इस अधिनियम की धारा 11 तथा अन्य उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये अतिरिक्त कर समझा जायगा।"

धारा 5 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 5 में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन 15 नवम्बर, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक की अवधि के लिये देय अतिरिक्त कर का भुगतान 15 जनवरी, 1972 को या उससे पूर्व किया जायेगा।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन

16—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(क) भाग 'बी' (परिवहन गाड़ियां), अनुच्छेद संख्या 4 (यात्रियों तथा यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए भाड़े पर चलने वाली गाड़ियां) के संबंध में, द्वितीय तथा तृतीय स्तम्भ में प्रविष्टि (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां 1 जनवरी, 1972 से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात्:—

"स्तम्भ-2	स्तम्भ-3	
(2) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली		400
(3) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	(क) तीन पहियों वाली	400
	(ख) अन्य	500"

(ख) भाग 'बी' के पश्चात् निम्नलिखित भाग 'सी' बढ़ा दिया जाय और उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के अध्याय 5 के प्रारम्भ होने के दिनांक से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात् :—

"भाग 'सी'

स्पष्टीकरण

1—जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम समुपयुक्त दर पर देय होगा ।

2—'भार-विहीन वजन' का तात्पर्य गाड़ी के उस समय के वजन से है जब वह भार-विहीन हो और इस में ऐसे समस्त पुर्जे, सज्जा, सामान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित हैं, जो गाड़ी के लिए, जब वह चलती हो, आवश्यक हों और साधारणतया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों ।

3—'प्राधिकृत भार' का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वहन करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटाकर निकाला जा सके ।

4—'वायवीय (न्यूमैटिक) टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव से हवा भरी गयी हो ।

5—'लचीले टायर (रेजीलियेंट टायर)' का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत-निर्मित रबड़ से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये के रिम से उन्नीस मिलीमीटर से कम बाहर न निकली रहे ।

6—'लचीलापन-रहित टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो न तो वायवीय टायर हो और न लचीला टायर हो ।

7—यदि कोई मोटर गाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका, अनुच्छेद 4, 5 और 7 के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बैठने के स्थान के बराबर समझी जायेगी ।

8—किसी ऐसी मोटरगाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद 4 से 7 में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो, सम्बद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक् मोटर गाड़ी समझा जायेगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा विहित समुपयुक्त कर लगाया जा सकता है ।"

अध्याय 5

इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 का संशोधन

अतिरिक्त कर से भारणीय अन्य संलेख-पत्र

17—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा-संशोधित इण्डियन स्टैम्प ऐक्ट, 1899 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3-ए के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"3-एए—(1) अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17-ए, 17-बी, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34-ए, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 (बी) या (सी), 63, 64 या 65 के साथ पठित धारा 3 के अधीन शुल्क— भारणीय प्रत्येक संलेख-पत्र पर ऐसे शुल्क के अतिरिक्त 10 पैसे शुल्क होगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथ सम्भव, उपधारा (1) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क पर उसमें अभिदिष्ट संलेख-पत्रों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उन संलेख पत्रों के संबंध में धारा 3 के अधीन भारणीय शुल्क के संबंध में लागू होते हों :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त धारा 9 के खण्ड (ए) के अधीन कोई ऐसा नियम या आदेश, जिसमें किसी संलेख-पत्र या किसी वर्ग के संलेख पत्र पर देय शुल्क को कम किया जाय अथवा छूट दी जाय, उस संलेख-पत्र पर उपधारा (1) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क के सम्बन्ध में लागू न होगा :

अपेतर प्रतिबन्ध यह है कि उप-धारा (1) के अधीन भारणीय अतिरिक्त शुल्क धारा 3 के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ शुल्क की कुल धनराशि में शामिल नहीं किया जायेगा ।"

अनुसूची 1—बी का संशोधन

18—मूल अधिनियम की अनुसूची 1—बी में,—

(क) वर्तमान अनुच्छेद 25-ए की संख्या बदल कर 34-ए कर दी जाय ;

(ख) अनुच्छेद 25 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"25-ए—माल के क्रय या विक्रय पर कर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखने के लिये अपेक्षित पांच रुपये से अधिक धनराशि के लिये किसी बिल या कैश मीन का प्रतिरूप या द्वितीय प्रति (जिसके अन्तर्गत प्रति-पर्ण या कार्बन प्रति भी है)—दस पैसे ।

टिप्पणी : इस अनुच्छेद में नियत शुल्क के सम्बन्ध में धारा 3 का स्पष्टीकरण लागू नहीं होगा ।"

अध्याय 6

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 8, 1962 की धारा 3 का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें और स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायें, अर्थात् :—

"(3) इस उपधारा के प्रवर्तन के दिनांक से और उसके पश्चात् ऐसी यात्री गाड़ी द्वारा, जो केवल नगर या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर चलाई जाने वाली यात्री गाड़ी न हो, ले जाये जाने वाले प्रत्येक यात्री के लिये किराये पर दस पैसे की दर से अतिरिक्त कर (यदि ऐसी यात्रा के लिये साधारण किराया एक रुपये से कम न हो) लगाया जायेगा जो उस यात्री द्वारा राज्य में प्रत्येक यात्रा के सम्बन्ध में यात्री गाड़ी के परिचालक को देय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर, ठेका गाड़ी की दशा में, उन यात्रियों की संख्या के सम्बन्ध में, जिनके सम्बन्ध में उसमें स्थान की व्यवस्था है, लगाया जायेगा, चाहे वास्तव में ले जाये जाने वाले यात्रियों की संख्या कुछ भी हो।

(4) इस अधिनियम के उपबन्ध, यथासम्भव, उपधारा (3) के अधीन भारणीय अतिरिक्त कर के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उपधारा (1) के अधीन कर के संबंध में लागू होते हों, किन्तु धारा 5 की उपधारा (1) का द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड उक्त अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में ऐसे परिवर्तन या परिष्कार के साथ लागू होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "नगर" और "नगरपालिका" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 में उनके लिये दिये गये हों।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19, 1971 का निरसन

20—उत्तर प्रदेश कर-विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 304 जन० (लेग०)—1972—1,859+50 (मे०)।